



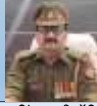
Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई विकास की लाठी डण्डों से पीटकर हत्या की घटना कारित करने के आरोपियों 1.संजू उर्फ संजीव 2.राजू धनकड़ 3.कल्लू उर्फ संदीप 4.बिल्लू उर्फ ओमवीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 28000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.संजू उर्फ संजीव पुत्र रामवीर 2.राजू धनकड़ पुत्र तेजपाल निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत 3.कल्लू उर्फ संदीप पुत्र वेदपाल 4.बिल्लू उर्फ ओमवीर पुत्र नरेशपाल निवासीगण ग्राम आदर्श नगला थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी के भाई विकास की लाठी डण्डों से पीटकर हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 188/21 धारा 302/34/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 08.09.2026 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1.संजू उर्फ संजीव 2.राजू धनकड़ 3.कल्लू उर्फ संदीप 4.बिल्लू उर्फ ओमवीर को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 28000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री राहुल नेहरा डीजीसी



नि0 श्री विनोद कुमार विवेक



का0 हरदीप कुमार कोर्ट पैराकार

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

08.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 581/26 धारा 305(a),317(2) बीएनएस मे वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये एल्युमिनियम के दरवाजे के फ्रेम के टुकड़े वजन करीब 05 कि0ग्रा0 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी निखिल चौधरी पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम काठा थाना व जिला बागपत मय विनय पुत्र मुकेश निवासी उपरोक्त उम्र 28 वर्ष मय बरामद एक नफर बाल अपचारी 1. सुहेल पुत्र राजू उर्फ मौमिन निवासी डा सराफत वाली गली मुगल मौहल्ला कस्बा व थाना बागपत उम्र 15 वर्ष को लेकर थाना आये व वादी द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि



अभियुक्तगण 1. सुहेल पुत्र राजू उर्फ मौमिन निवासी डा सराफत वाली गली मुगल मौहल्ला कस्बा व थाना बागपत उम्र 15 वर्ष 2. शोकीन द्वारा वादी के घर में घुसकर 02 अदद सरिया व केबल व बिजली का बोर्ड चोरी कर लिया एवं वादी व वादी के पड़ोसी रोहित पुत्र ओमवीर कश्यप द्वारा मौके पर उक्त बाल अपचारी सुहेल को मय 02 अदद सरिया व केबल व बिजली का बोर्ड के मौके पर पकड़ लिया एवं एक अभियुक्त शौकीन मौके भाग गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 581 धारा 305(b)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 581/26 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये एल्युमिनियम के दरवाजे के फ्रेम के टूटे हुए टुकड़े वजन लगभग 05 किलोग्राम बरामद किये गए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-शौकीन उर्फ शकील पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत , जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एल्युमिनियम के दरवाजे के फ्रेम के टुकड़े वजन करीब 05 किलोग्राम

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-रि0का0 285 प्रशान्त बरुआ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 581 सुभाष चन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

08.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 581/26 धारा 305(a),317(2) बीएनएस मे वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये एल्युमिनियम के दरवाजे के फ्रेम के टुकड़े वजन करीब 05 कि0ग्रा0 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी निखिल चौधरी पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम काठा थाना व जिला बागपत मय विनय पुत्र मुकेश निवासी उपरोक्त उम्र 28 वर्ष मय बरामद एक नफर बाल अपचारी 1. सुहेल पुत्र राजू उर्फ मौमिन निवासी डा सराफत वाली गली मुगल मौहल्ला कस्बा व थाना बागपत उम्र 15 वर्ष को लेकर थाना आये व वादी द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि



अभियुक्तगण 1. सुहेल पुत्र राजू उर्फ मौमिन निवासी डा सराफत वाली गली मुगल मौहल्ला कस्बा व थाना बागपत उम्र 15 वर्ष 2. शोकीन द्वारा वादी के घर में घुसकर 02 अदद सरिया व केबल व बिजली का बोर्ड चोरी कर लिया एवं वादी व वादी के पड़ोसी रोहित पुत्र ओमवीर कश्यप द्वारा मौके पर उक्त बाल अपचारी सुहेल को मय 02 अदद सरिया व केबल व बिजली का बोर्ड के मौके पर पकड़ लिया एवं एक अभियुक्त शौकीन मौके भाग गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 581 धारा 305(b)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 581/26 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये एल्युमिनियम के दरवाजे के फ्रेम के टूटे हुए टुकड़े वजन लगभग 05 किलोग्राम बरामद किये गए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-शौकीन उर्फ शकील पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत , जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एल्युमिनियम के दरवाजे के फ्रेम के टुकड़े वजन करीब 05 किलोग्राम

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-रि0का0 285 प्रशान्त बरूआ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 581 सुभाष चन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 08.09.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 322/26 धारा 281,125(a),125(b), 324(4) ,106 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 वाहन टाटा ट्रक (16 चक्का) रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 11 GD 2821 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी कुंवरपाल पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम निजामपुर, थाना उझानी, जनपद बदायूं द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि दिनांक 06/07.09.2026 की



रात्रि में वाहन संख्या UP 24 AT 1819 (बोलोरो पिकअप), जिसमें लगभग 30-32 व्यक्ति एवं अन्य यात्री सवार थे, राजस्थान से जनपद बदायूं की ओर जा रहे थे। वाहन चालक द्वारा हाईवे पर वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए अचानक बिना किसी संकेत (इण्डीकेटर) के वाहन को तीसरी लेन से मध्य लेन में ले जाया गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए उक्त बोलोरो पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी गई। टक्कर लगने से बोलोरो पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें सवार अनेक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस एवं राहत-बचाव दल द्वारा घायलों को तत्काल उपचार हेतु विभिन्न चिकित्सालयों में भिजवाया गया। उपचार के दौरान (1) प्रेम सिंह पुत्र मुन्शी, (2) जय सिंह उर्फ साधू पुत्र मुन्शीलाल, (3) रामेश्वर पुत्र शिवदास निवासी गण ग्राम अल्लाहपुर, थाना उझानी, जनपद बदायूं, (4) सुगड़पाल पुत्र नैत्रपाल निवासी ग्राम चैतुनगला, थाना उझानी, जनपद बदायूं, (5) मुनीम कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना जरीफनगर, जनपद बदायूं तथा (6) जितेन्द्र पुत्र नैपाल निवासी ग्राम मदारपुर, थाना जरीफनगर, जनपद बदायूं, उम्र करीब 07 वर्ष की दुःखद मृत्यु हो गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 322/26 धारा 281/125(a)/125(b)/324(4)/106 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 322/26 धारा 281/125(a)/125(b)/324(4)/106 बाएनएस में वांछित 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद टाटा ट्रक (16 चक्का) रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 11 GD 2821 बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खेकड़ा पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आदित्य पुत्र दिनेश निवासी बास बोहपी जरऊ थाना सादाबाद हाथरस जनपद बागपत, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदी का विवरण-

- 01 वाहन टाटा ट्रक (16 चक्का) रजि0 नं0 RJ 11 GD 2821

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा मय थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 611 सतीश कपासिया थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 08.09.2026

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 123/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित

किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विकास उर्फ सनी उर्फ तोपची पुत्र दरियाव सिंह निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 84/26 धारा 115(2)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना बालैनी, जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रमेशचन्द थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-का0 204 विकास कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

